न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल।
राघोपुर थाना काण्ड संख्या–385 / 2025

	<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–552 / 2026</u> **1.ब्रहमदेव मुखिया, उम्र करीब–40 वर्ष, पिता–मधुलाल मुखिया** **2. खुशबू देवी, उम्र करीब–33 वर्ष, पिता–रामदेव मुखिया** **3. सीमा देवी, उम्र करीब– 35 वर्ष, पिता–ब्रहमदेव मुखिया** **सभी सा0–पिपराही, वार्ड नं0–14, थाना–राघोपुर, जिला–सुपौल** **.....आवेदक अभियुक्तगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी।**	
<u>23.05.2026</u>	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्तगण **ब्रहमदेव मुखिया, खुशबू देवी** एवं **सीमा देवी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो राघोपुर थाना कांड संख्या–385 / 2025 अन्तर्गत धारा– 115(2), 126(2), 303(2), 351(2), 352, 118(1), 117(2), 109 बी0एन0एस0 के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है एवं जिनका यह वाद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में लंबित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अमर कुमार दास को सुना। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। धारा–303(2), 118(1) एवं 109 बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदक अभियुक्तगण के उपर मुकदमा को गंभीर एवं अजामानतीय बनाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत प्रस्तुत वाद के अनुसंधानकर्ता की ओर से अलग से आवेदन देकर प्रस्तुत वाद में धारा–109 बी0 एन0 एस0 का समावेश किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 के सभी नियम एवं शर्तों को मानने को तैयार है। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक – 29.09.2025 को करीब 7 बजे संध्या में आवेदक अभियुक्तगण एवं 2 अन्य सहअभियुक्तगण नाजायज मजमा बनाकर तथा तलवार, लाठी, रॉड आदि हथियार से लैश होकर सूचक के छोटा भाई अनिल मुखिया के घर पर आकर सूचक के भाई अनिल मुखिया को गाली देते हुए घर तोड़कर जमीन खाली करने के लिए कहने लगा। हल्ला सुनकर सूचक भी वहां पहुंच गया। सूचक के भाई उनलोगों को गाली देने से मना करते हुए अपने दरवाजा पर से चले जाने के लिए कहा तो सहअभियुक्त रामदेव मुखिया ने अपने साथ लाये कुछ अज्ञात लोगों को आदेश दिया कि इसे मना करने का मजा चखा दो, इसे जान से खत्म कर दो तथा सभी सामान लूट कर घर द्वार तोड़ दो। उक्त आदेश पर वे सभी मिलकर सूचक के भाई अनिल मुखिया को घेरकर गाली देते हुए रॉड, लाठी एवं तलवार से जान मारने की	लगातार

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल।
राघोपुर थाना काण्ड संख्या–385 / 2025

लगातार 23.05.2026	नीयत से मारपीट करने लगा तथा सह अभियुक्त रामदेव मुखिया अपने हाथ में लिए तलवार से सूचक के भाई अनिल मुखिया को जान से मारने की नियत से सर पर मारकर जख्मी कर दिया, जिससे सूचक के भाई अनिल मुखिया के सर से खुन बहने लगा एवं जमीन पर गिर गया। सूचक अपने भाई को बचाने लगा तो वे सभी मिलकर सूचक को भी घेरकर गाली–गलौज देते हुए जान मारने की नियत से मारपीट करने लगा तथा आवेदक अभियुक्त ब्रहमदेव मुखिया अपने हाथ में लिए तलवार से सूचक को जान से मारने की नियत से सर पर मारकर जख्मी कर दिया, सूचक भी जख्मी होकर जमीन पर गिर गया तथा सूचक के सर से भी खुन बहने लगा। सूचक तथा सूचक के भाई अनिल मुखिया को बचाने सूचक की पत्नी लीला देवी एवं अनिल मुखिया की पत्नी चन्दुला देवी आई तो वे सभी मिलकर उन दोनों को भी घेरकर जान मारने की नियत से मारपीट करने लगा तथा रामदेव मुखिया की पत्नी ने चन्दुला देवी को रॉड से सर पर मारकर जख्मी कर दिया तथा ब्रहमदेव मुखिया की पत्नी ने लीला देवी को लाठी से सर पर मारा, जिसे हाथ से रोकने पर उसके बॉह में लगा तथा वह भी जख्मी हो गई। रामदेव मुखिया, ब्रहमदेव मुखिया एवं मधुलाल मुखिया तीनों मिलकर लीला देवी एंव चन्दुला देवी को बुरा नियत से पकड़–धकड़ कर पहना हुआ साड़ी–ब्लाउज फाड़ दिया। मधुलाल मुखिया की पत्नी ने लीला देवी के गला से चॉदी का चेन छिन लिया। हल्ला करने पर आये लोगों ने हमलोगों का जान बचाया तथा सभी जख्मी को रेफरल अस्पताल राघोपुर लाया, जहां सभी लोगों का इलाज हुआ। सूचक के बाएं तरफ के कंधे का हड्डी टूटा हुआ पाया। सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसकी पत्नी लीला देवी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करने तथा सूचक के परिवार के महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 02 में वादी का पुनर्बयान, कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 में साक्षियों का बयान अंकित है, जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 19, 20, 21 में जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी गोबिंद मुखिया को दो जख्म कारित हुआ है, जिसमें पहला जख्म ललाट पाया गया एवं दूसरा जख्म गंभीर प्रकृति का बताया गया है। जख्मी अनिल मुखिया को तीन जख्म कारित हुआ है जिसमें पहला जख्म सर पर एवं दूसरा ललाट पर कारित हुआ है। जख्मी लीला देवी को एक जख्म कारित हुआ है एवं जख्मी चंदुला देवी को सर पर जख्म कारित हुआ। प्रस्तुत कांड अभी अनुसंधानरत् है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **फलस्वरूप;** आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित **(कुमार कौशल किशोर)** अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ प्रभारी न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय सुपौल	